प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा देहात थाना :– प्र.आ.केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं0 ......110/2022...... दिनांक......01/4/2022......

2. (1) अधिनियम– पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 धाराऐं–7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018

   (2) अधिनियम– धाराऐं –

   (3) अधिनियम...................................... .धाराऐं......................................

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :– गुरूवार दिनांक– 31.03.2022

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 14.03.2022 समय :– 03:10 पी.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......12...... समय......5.50 P.M.......

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी –ए.सी.बी. कोटा देहात से करीब 35 कि.मी. बजानिब पूर्व

बीट संख्या......................................जुरामदेही सं......................................

(ख) पता:– स्टेट हाईवे, कोटा–सुल्तानपुर रोड

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्री माणकचंद

(ख) पिता का नाम :–श्री सरलाल चौधरी

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 49 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या....................जारी करने की तिथि....................जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– ग्राम जाजौता, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) श्री नरेश नरूका पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 23 साल निवासी सुरेला थाना सुल्तानपुर जिला कोटा हाल उप प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 50,000 रूपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)......................................

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाकियात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2022 समय 03:10 पी.एम. पर परिवादी श्री माणकचंद पुत्र श्री सरलाल चौधरी जाति जाट उम्र 49 साल निवासी जाजोला तहसील रूपनगढ जिला अजमेर, राजस्थान ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पुत्र श्री सुरेशचंद की फर्म शेषमा कन्सट्रक्शन कम्पनी के नाम से है। जिसका कार्य मैं

स्वंय देखता हूँ केन्द्र सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एलायमेन्ट एनएच–148एन में पैकेज नं. 13 सीडीएस इन्फ्रा से श्री सालासर बालाजी एसोसिएट्स एंव श्री सालासर बालाजी ग्रुप को चैनेंज नं. 373 से 374, 375–376,376–377 तक मिट्टी डालने का वर्कऑडर जारी हुआ है। उक्त कार्य श्री सालासर बालाजी एसोसिएट्स एंव श्री सालासर बालाजी ग्रुप के मुख्य ठेकेदार द्वारा सबलेट्स में मेरे पुत्र की फर्म के नाम पर हमे दिया है। उपरोक्त मिट्टी खोदने का कार्य हम डूगंरज्या तालाब एंव थारला(खेडली काल्या) तहसील दीगोद कोटा से कर रहे है श्री नरेश नरूका, उप प्रधान पंचायत समिति सुल्तानपुर ने झूठी शिकायत एंव अपने पद एंव प्रभाव का उपयोग कर मिट्टी खोदने का कार्य रूकवा दिया था। मैं उप प्रधान श्री नरेश नरूका से जाकर मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि मैं एक जेब में लोकसभा अध्यक्ष एंव दूसरी जेब में क्षेत्रीय विधायक को रखता हूँ। मेरी मर्जी के बिना आप मिट्टी खोदने का कार्य नही कर सकते, यदि आपको दोनो तलाबों से मिट्टी खोदनी है तो पांच लाख रूपये प्रति तिमाही मुझे देने पडेंगें, मेरे निवेदन करने पर भी वह हमारा कार्य बन्द करवाने पर आमदा है हम अपने जायज काम के बदले उप प्रधान श्री नरेश नरूका को रिश्वत नहीं देना चाहते है। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहते है, इनसे हमारा कोई पुराना लेनदेन एंव रंजिश नही है। रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि उचित कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवाद के बिन्दूओं के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि उप प्रधान से बातचीत करने जाने के दौरान मेरे मित्र व साथ काम करने वाले राधावल्लभ एंव मदन जी भी मेरी कम्पनी के कार्यालय से मेरे साथ जायेगे। परिवादी ने बालाजी एसोसियएट्स से कार्य सबलेट्स पर लेने एंव वर्क ऑर्डर सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति सहस्ताक्षर पेश की जिसे शमिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 05.00 पी. एम. पर कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वाईस रिकोर्डर निकलवाया जाकर परिवादी को चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर सुपुर्द किया गया तथा हिदायत की गई कि उप प्रधान के पास जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकोर्डर को ऑन करने तथा स्वयं के एवं उप प्रधान के मध्य होने वाली रिश्वत सम्बन्धी वार्ता को डिजिटल वाईस रिकोर्डर में रिकॉर्ड करे। श्री पवन कुमार कानि. 272 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया एंव हिदायत की गई कि वो परिवादी व उप प्रधान के मध्य होने वाली वार्ता को यथासम्भव सुनने व देखने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुतिब की गई। परिवादी माणकचंद को नरेश नरूका उप प्रधान से रिश्वत की मांग का सत्यापन करने हेतु मय डिजिटल वाईस रिकोर्डर के ग्राम सुरेला के लिए रवाना किया। श्री पवन कुमार कानि. को भी परिवादी के साथ वार्ता की निगरानी हेतु रवाना किया गया। समय 09.40 पी.एम. पर परिवादी श्री माणकचंद एंव पवन कुमार कानि. कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी माणकचंद ने पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किया तथा बताया कि मैं व श्री पवन कुमार जी रवाना होकर मेरी कम्पनी के कार्यालय पहुंचे वहॉ से मेरे मित्र व साथ काम करने वाले राधावल्लभ, मदन को लेकर ग्राम सुरेला स्थित उप प्रधान जी के घर पर पहुंचे। जहॉ पर हमारी वार्ता हो गई है, जिसको मैनें डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। श्री नरेश नरूका जी ने ग्राम डूंगरज्या तालाब एंव थारला तालाब से मिट्टी खुदाई का कार्य सुचारूरूप से चलने एंव शिकायत नही करने की एवज में पांच लाख रूपये की मांग की है एंव हमारे निवेदन करने पर 2 लाख रूपये लेने हेतु राजी हुये है। मैने उनको होली के बाद गांव से वापस आने पर पचास हजार रूपये देने हेतु कहा है। मैं वॉईस रिकार्डर श्री पवन कुमार से चालू करवाकर ले गया था तथा बन्द वार्ता वापस बाहर आने पर पवन कुमार से बन्द करवाकर मेरे पास रख लिया था। डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। श्री पवन कुमार से पूछने पर उन्होने बताया कि मैने परिवादी को वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू करके दे दिया था तथा उसके वापस बाहर आने पर डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द करके परिवादी के ही पास रखा था। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। रिकॉर्ड सत्यापन वार्तानुसार आरोपी नरेश नरूका, उप प्रधान द्वारा रिश्वत राशि होली के बाद लेना तय किया है। अतः परिवादी श्री माणकचंद को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने एंव आरोपी के रिश्वत मांग करने पर रिश्वत राशि लेकर कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 31.03.2022 समय 08.40 ए.एम. पर परिवादी श्री माणकचंद कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि आज मेरी उप प्रधान श्री नरेश नरूका जी से बात हुई थी उन्होने मुझे 50,000रू रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। मैं उप–प्रधान को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000

रूपये लेकर आया हूं। परिवादी को मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त राशि स्वयं के पास सुरक्षित रखने की हिदायत की गई, एंव दिनांक 30.03.2022 को पृथक गोपनीय कार्यवाही हेतु तलबशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री अजय, कनिष्ठ सहायक एंव कृष्णावतार मिस्त्री नगर निगम कोटा उत्तर को जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया। समय 08.50 ए.एम. पर पूर्व के तलबशुदा श्री अजय, कनिष्ठ सहायक एंव कृष्णावतार मिस्त्री नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई तो दोनों ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्रदान की, तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया जिस पर दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 09.00 ए.एम. पर कार्यालय के मालखाना से दिनांक 14.03.2022 को सुरक्षित रखवाये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बाहर निकलवाया जाकर उसमें रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री पवन कुमार कानि. से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया गया। वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को स्पीकर चालू कर सुनाया गया तथा गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में पवन कुमार कानि. 272 से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट कार्यालय में लेपटॉप से हुबहु तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.45 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री माणकचंद ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 50,000 रूपये 2000–2000 रूपये के 25 नोट निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये, नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है–

1	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8AW 808815
2	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5EF 369931
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4CG 879219
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4EF 382764
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4AG 047065
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2CT 886959
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KB 576605
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0FG 864589
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4CM 279748
10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KP 828804
11	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6KC 916173
12	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2BM 901685
13	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5AH 713691
14	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ES 405724
15	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5GK 138841
16	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9MK 489401
17	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7FE 427408
18	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8MR 454592
19	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1CK 119076
20	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6HM 570960
21	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4HE 409376
22	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4LA 458672
23	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3LL 724508
24	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0ED 524827
25	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ED 111121

श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्तानुसार पेश सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह कृष्णावतार से परिवादी श्री माणकचंद की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे 2000–2000 रू के 25 नोट (50,000रू) को श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल

तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम में आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी के गले में लटकाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को. डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.30 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री माणकचंद, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अजय, कृष्णावतार व ट्रेप पार्टी श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक, श्री दिग्विजय सिहं कानि. 419, श्री पवन कुमार कानि. 272, श्री असलम खान हैड कानि. 184, श्रीमती मंजू चौधरी महिला कानि. मय सरकारी वाहन ट्वेरा कार मय चालक श्री विशेष कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के बजानिब पूर्व सुल्तानपुर–दीगोद परिवादी के कम्पनी के अस्थाई कार्यालय/निवास की ओर रवाना हुई। श्रीमति कीर्ति चौधरी महिला कानि. 253 को कार्यालय में आवश्यक हिदायत कर कार्यालय में ही छोड़ा गया। समय 01:30 पी.एम. पर परिवादी श्री माणकचंद से आरोपी नरेश नरूका, उप प्रधान की लॉकेशन जानने हेतू डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी स्वंय के मोबाईल नम्बर 9079202317 से आरोपी नरेश नरूका उप प्रधान के मोबाईल नम्बर 8949287162 पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तो आरोपी ने स्वंय को ग्राम सुरेला पर होना बताते हुए, परिवादी से स्वंय के कम्पनी के कार्यालय पर मिलने के लिए कहा। वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। समय 01.32 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ट्रेप टीम के परिवादी के कम्पनी कार्यालय के पीछे कच्चे रास्ते पर पहुंची। परिवादी को अपने कम्पनी के केम्प कार्यालय की ओर रवाना किया एवम् मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय टीम के परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर परिवादी के कम्पनी के अस्थाई केम्प कार्यालय/निवास के पीछे खेतों एंव केम्प कार्यालय के पीछे अपनी उपस्थिति छिपाते हुए जाल बिछाकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगी। समय 01.52 पीएम पर परिवादी श्री माणकचंद ने कोटा–सुल्तानपुर स्टेट हाईवे पर स्थित कम्पनी केम्प/अस्थाई निवास के बाहर लकडी के तख्त (चारपाई) पर बैठे बैठे ने पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंची। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया एवम् सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् अति.पुलिस अधीक्षक को अपने बांयी ओर लकडी के तख्त पर बैठे व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये ही नरेश नरूका, उप प्रधान पंचायत समिति सुल्तानपुर है जिन्होने अभी अभी मुझसे पचास हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की है ओर अपने पास की पीली स्वाफी(तौलिया) में लपेट कर बायें हाथ में पकड रखे है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तो उक्त व्यक्ति एकदम घबराकर पसीना पसीना हो गया। जिसको तसल्ली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो अपना नाम श्री नरेश नरूका पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 23 साल निवासी सुरेला, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा हाल उप प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा होना बताया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की ओर इशारा कर नरेश नरूका से पूछा कि अभी अभी आपने परिवादी श्री माणकचंद से किस बात के लिए 50,000रू राशि प्राप्त की है। इस पर नरेश

नरूका ने बताया कि मैने माणकचंद जी से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है इन्होने जबरदस्ती 50,000रू दिये है। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 14.03.2022 को नरेश जी उप प्रधान साहब ने मुझे, रामवल्लभ, व मदनलाल को अपने घर पर बुलाया था। इन्होनें हम लोगो से डूंगरज्या तालाब एंव थारला तालाब से मिट्टी खोदने देने एंव शिकायत नही करने की एवज में 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया था कि यह काम हमने सबकान्ट्रेक्ट पर लिया है जिसमें हमारे को ज्यादा बचत नही है, काफी निवेदन करने पर यह 2 लाख रूपये लेने पर राजी हुये थे। आज मैने इनके कहेअनुसार 50,000रू इनके मांगने पर यहॉ आकर इनको दिये है जो इन्होने अपने हाथ में लेकर अपने पास की पीले व काले रंग की स्वाफी(तौलिया) में लपेट कर बांये हाथ में ले रखे है। चूंकि परिवादी श्री माणकचंद के कहेअनुसार नरेश नरूका, उप प्रधान द्वारा परिवादी से 50,000रू रिश्वत के मांग कर प्राप्त करने का संदेह होने से हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। परिवादी का अस्थाई कम्पनी कार्यालय/निवास मैन रोड पर स्थित होने व संदिग्ध के जनप्रतिनिधी होने से मौके पर लोग इक्ट्ठा हो जाने एंव कार्यवाही में व्यवधान होने की प्रबल संभावना है। अतः आरोपी नरेश नरूका का दाहिना हाथ श्री पवन कुमार कानि. 272 से एवम् बांया हाथ श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 से कोहनी के पास से पकडवाकर यथास्थिति सरकारी वाहन टवेरा की बीच की सीट पर बिठाया गया। समय 02:15 पी.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक, मय संदिग्ध श्री नरेश नरूका, मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी मय ट्रेप पार्टी सरकारी वाहन से कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान नजदीकी पुलिस थाना दीगोद हेतु रवाना हुई। समय 02:30 पी.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय संदिग्ध श्री नरेश नरूका, परिवादी व गवाहान एवं जाब्ता घटनास्थल से 06 कि.मी. दूर पुलिस थाना दीगोद, जिला कोटा ग्रामीण पहुँची। जहॉ श्री कमल सिंह हैड कानि. 963 थाना पर उपस्थित मिले जिनको थाना परिसर में बैठकर कार्यवाही किये जाने से अवगत करवाया गया। नरेश नरूका उप प्रधान को यथास्थिति सरकारी वाहन टवेरा में से उतारा जाकर कार्यवाही हेतु थाना परिसर में पीछे की ओर बने हुये स्वागत कक्ष में लाया गया। श्री नरेश नरूका उप प्रधान की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी के हाथ में पकडी हुई पीले रंग की स्वाफी(तौलिया) को स्वतन्त्र गवाह श्री अजय कनिष्ठ सहायक को अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया गया। बोतल से दो साफ कांच के गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग का अपरिवर्तित होना बताया। आरोपी नरेश नरूका के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। इसके बाद श्री नरेश नरूका के कब्जे से गवाह श्री अजय कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई स्वाफी(तौलिया) को चैक करवाया तो उसमें दो हजार रूपये के नोटों की गड्डी मिली जिसे गवाहान से गिनवाया गया तो दो-दो हजार रूपये के 25 नोट कुल पचास हजार रूपये पाये गये। उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से करने हेतु कहा गया, जिस पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर कहा कि ये वही नोट हैं जिन पर कार्यालय में फिनोफ्थिलीन पाउडर लगाया था। बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं-

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8AW 808815
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5EF 369931
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4CG 879219
4.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4EF 382764
5.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4AG 047065
6.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2CT 886959
7.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KB 576605
8.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0FG 864589
9.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4CM 279748

10.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0KP 828804
11.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6KC 916173
12.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2BM 901685
13.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5AH 713691
14.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ES 405724
15.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5GK 138841
16.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9MK 489401
17.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7FE 427408
18.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8MR 454592
19.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1CK 119076
20.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6HM 570960
21.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4HE 409376
22.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4LA 458672
23.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3LL 724508
24.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0ED 524827
25.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7ED 111121

उक्त नोटों को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात थाना परिसर से एक साफ प्लास्टिक की बाल्टी मंगवाई गई जिसमें पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखने में प्रयुक्त की गई स्वाफी(तौलिया) को डुबोकर उक्त घोल में धोया तो धोवन का रंग पीला एंव मटमैला हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क S-1 व S-2 अंकित किया। स्वाफी(तौलिया) को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क– S अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की तलाशी में मिले मोबाईल सेमसंग मॉडल जे–2 बंरग काला मय लेदर कवर के जिसके आईएमईआई नं.1–356922/09/087399/8 सीम नं.1 के नम्बर 8949287162 हैं तथा आईएमईआई नं.2– 356923/09/087399/6 तथा दूसरी सीम स्लाट खाली हैं। चूंकि उपरोक्त मोबाईल सें आरोपी नरेश नरूका ने परिवादी सें रिश्वत राशि लेनदेन संबन्धी बात की हैं, अतः उक्त मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर चिट चस्पा कर कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके बाद नरेश नरूका से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैं पंचायत समिति सुल्तानपुर में उप प्रधान हूँ। मुझे श्री माणकचंद जी द्वारा ग्राम डूंगरज्या तालाब एंव थारला तालाब से निर्धारित गहराई से अधिक मिट्टी खोदने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की गई थी। जिसकी मैने करीबन एक माह पहले जिला कलक्टर कोटा को शिकायत की थी। उक्त शिकायत के बाद श्री माणकचंद जी एंव इनके साथी मुझसे आकर मिले थे ओर कहा था कि आप ग्राम डूंगरज्या एंव थारला के लोगो को सन्तुष्ट करो ताकि हम दोनो तालाबों से मिट्टी खुदाई का कार्य बिना किसी परेशानी के कर सके। मैने दोनों ग्राम के निवासियों से वार्ता की तो ग्रामवासियों ने मुझे बताया था कि यदि ठेकेदार ग्राम डूंगरज्या स्थित हनुमान मंदिर पर निर्माण कार्य हेतु राशि दान करेगा तो हम मिट्टी खोदने का कोई विरोध नही करेंगे। मैने इनको कहा था कि आप डूंगरज्या ग्राम स्थित मंदिर में पांच लाख रूपये निर्माण कार्य हेतु दान कर दो। मैने इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग नही की है. बल्कि इन्होने ही मुझे ग्राम डूंगरज्या हनुमान मंदिर निर्माण कार्य हेतु दो लाख रूपये देने हेतु कहा था एंव आज 50000रू जबरन दिये है।

इस पर उपस्थित परिवादी ने आरोपित श्री नरेश नरूका की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री नरेश नरूका जी झूठ बोल रहे है। मैने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे दिल्ली बडोदरा हाईवे के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी डालने के कार्य का ठेका सबकान्ट्रेक्ट पर लिया हुआ है। मेरे द्वारा ग्राम डूंगरज्या तालाब एंव थारला तालाब तहसील सुल्तानपुर से मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा था। श्री नरेश नरूका जी उप प्रधान द्वारा मिट्टी खुदाई के कार्य की शिकायत कर कार्य रूकवा दिया था एंव अपने पद एंव प्रभाव की धोंस बताकर दोनो स्थानों से

मिट्टी खुदाई करने देने की एवज में 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। दिनांक 14.03.2022 को इन्होने मिट्टी खुदाई कार्य सुचारू रूप से चलने एंव शिकायत नही करने की एवज में पांच लाख रूपये की मांग की थी जिसको मैने आपके कार्यालय से दिये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया था एंव मेरे काफी निवेदन करने पर 2 लाख रूपये लेने हेतु राजी हुये थे। आज इन उप प्रधान साहब ने मुझसे से दोनो तालाबो से मिट्टी खुदाई बिना किसी शिकायत एंव दबाव के सुचारू रूप से करने देने की एवज में प्रचास हजार रूपये रिश्वत राशि स्वंय के लिए मांग कर प्राप्त की है। हमारे मध्य ग्राम डूंगरज्या हनुमान मंदिर अथवा किसी अन्य मंदिर में पैसे दान करने सम्बन्धित कोई वार्ता नही हुई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन आरोपी नरेश नरूका एंव परिवादी के मध्य हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयर फोन लगाकर सुना तो मंदिर निर्माण एंव दान सम्बन्धित कोई बातचीत वार्ता में नही है एंव सत्यापन वार्ता में भी इस प्रकार का कोई जिक्र नही है। अतः स्पष्ट है कि आरोपित ने रिश्वत राशि स्वंय के लिए ही मांग की है। फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई मुर्तिब की गई। तत्पश्चात समय 05.10 पी.एम. पर आरोपी श्री नरेश नरूका, उप प्रधान को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर प्राप्ति रसीद देकर दूसरी प्रति पर लिखित में अपनी आवाज का नमूना स्वंय की मर्जी से नही देने बाबत् जवाब पेश किया। समय 05.30 पी.एम. पर श्री नरेश नरूका को उसकी गिरफ्तार के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। समय 6.10 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात आरोपी का निर्वाचन संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। समय 6.40 पी.एम. पर परिवादी माणकचंद एंव आरोपी नरेश नरूका उप प्रधान के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट परिवादी, आरोपी व दोनों गवाहान के समक्ष श्री पवन कुमार कानि.272 से तैयार करवाई गई। इसके बाद परिवादी के मोबाईल नम्बर 9079202317 से आरोपी नरेश नरूका के मोबाईल नं. 8949287162 पर लॉकेशन जाने हेतु रास्ते से करवाई गई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, लेपटोप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान व आरोपी को सुनाया जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पीएम पर दिनांक 14.03.2022 को परिवादी श्री माणकचंद, रामवल्लभ, मदन व आरोपी श्री नरेश नरूका के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 31.03.2022 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेनदेन वार्ता की कार्यालय के लेपटोप से चार सी.डी. तैयार करवाई गई। एक सी.डी. वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक सी.डी आरोपी के लिए एंव एक सीडी एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग–अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा चार सी.डी. को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही पूर्ण होने से परिवादी श्री माणकचंद को रूकसत किया गया। समय 09.30. पी.एम. पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अजय व कृष्णावतार, ट्रेप पार्टी व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री नरेश नरूका जप्तशुदा रिश्वत राशि, हाथों एंव रिश्वत राशि रखने हेतु प्रयुक्त स्वाफी(तौलिया)के धोवन की शाशीयां, 03 शील्डशुदा एंव 01 अनसील्ड सीडी, जब्तशुदा मोबाईल व पत्रावली, ट्रेप बॉक्स व अन्य आर्टिकल्स के पुलिस थाना दीगोद जिला कोटा से जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक विशेष कुमार के रवाना हुई। समय 10.30 पी.एम. पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्य व गिरफ्तारशुदा आरोपी नरेश नरूका उप प्रधान, जप्तशुदा रिश्वत राशि 50000रू का लिफाफा, हाथों व स्वाफी (तौलिया)के धोवन की शीशीयां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, S-1, S-2 व पैकिट मार्क S, 03 शील्डशुदा एंव 01 अनसील्ड सीडी, जब्तशुदा मोबाईल व पत्रावली, ट्रेप बॉक्स के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात पहुंची। जप्तशुदा आर्टिकल्स को श्री गिरिराज कानि. 387 को सुपुर्द कर. सुरक्षित रखवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही पूर्ण होने पर रूकसत किया गया।

उंपरोक्त कार्यवाही से श्री नरेश नरूका पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 23 साल निवासी सुरेला थाना सुल्तानपुर जिला कोटा हाल उप प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा द्वारा परिवादी श्री माणकचंद के ग्राम डूंगरज्या एंव थारला के तालाबों से मिट्टी खुदाई का कार्य शिकायत कर रूकवाना एंव अपने पद एंव प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बना कर पांच लाख की रिश्वत की मांग करना एंव दौराने सत्यापन उक्त कार्य की एंवज मे पांच लाख रूपये की मांग कर 02 लाख रूपये लेने पर राजी होना, दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी माणकचंद से रिश्वत राशि 50,000रू प्राप्त करना, रिश्वत राशि श्री नरेश नरूका की दाहिने हाथ में पकडी हुई

स्वाफी(तौलिया) से बरामद होना तथा बायें हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं दाहिने हाथ के धोवन का रंग मटमैला होना व आरोपी की स्वाफी(तौलिया) जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवन का रंग मटमैला एंव पीला होना पाया जाना इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री नरेश नरूका, उप प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा के द्वारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(डॉ प्रेरणा शेखावत)
अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेश नरूका, उप प्रधान, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 110/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.4.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः-973-77 दिनांक 01.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।